HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 14.10.2001 को अभियुक्त गुलजार पुत्र मुंशी निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा प्रतिबंधित पशु का कटान करने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 133/2001 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.11.2001 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 16.07.2025 में अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एसीजेएम हापुड़ द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम जी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री जतिन शर्मा एवं पैरोकार है0का0 दिनेश आजाद व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 मनीपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।